



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2017/श्रावण 27, 1939

No. 704]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2017/SRAVANA 27, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1027(अ).—राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (फीस) नियमावली, 1949 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त नियम बनाती है, नामतः-

- (क) इन नियमों को राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (फीस) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
(ख) ये नियम 1 सितंबर, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
(ग) ये नियम ऐसे सभी भारतीय राजनयिक मिशन/केंद्रों में लागू होंगे, जहां भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गयी है।
- राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (फीस) नियमावली, 1949 अनुसूची-1, खंड 11 में निम्नलिखित को निम्नवत संशोधित किया जाएगा:-

जिन मामलों में अतिरिक्त फीस की वसूली की जानी है	फीस (अमरीकी डॉलर में), स्थानीय मुद्रा में पूर्ण
11. (i) वीजा और ओसीआई कार्ड	3/- अमरीकी डॉलर प्रति दस्तावेज
(ii) पासपोर्ट	2/- अमरीकी डॉलर प्रति दस्तावेज
(iii) रोजगार दस्तावेजों का अधिप्रमाणन	2/- अमरीकी डॉलर प्रति कामगार
(iv) अन्य दस्तावेजों तथा अन्य विविध कौंसली सेवाओं (मृत्यु के मामलों को छोड़कर)	2/- अमरीकी डॉलर प्रति कामगार

[सं. टी-234/2/2017]

उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

टिप्पणी - मूल नियमावली अधिसूचना सं. 420-कोन., दिनांक 8 नवंबर, 1949 को प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा उसे संशोधित किया गया:-

- (i) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1977 दिनांक 14-11-1967
- (ii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817 (अ) दिनांक 13-10-1976
- (iii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326 (अ) दिनांक 02-04-1979
- (iv) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 862 (अ) दिनांक 1-11-1985
- (v) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 15-10-1993
- (vi) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 712 (अ) दिनांक 18-11-1993
- (vii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 912 (अ) दिनांक 20-12-2001
- (viii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256 (अ) दिनांक 28-03-2007
- (ix) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 541 (अ) दिनांक 09-08-2007
- (x) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 752 (अ) दिनांक 15-10-2009
- (xi) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398 (अ) दिनांक 12-05-2010
- (xii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254 (अ) दिनांक 23-03-2011
- (xiii) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325 (अ) दिनांक 18-04-2011

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2017

G.S.R. 1027(E).— In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949 namely:-

1. (a) These rules may be called the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Amendment Rules, 2017.
- (b) They shall come into force w.e.f. September 1, 2017.
- (c) These will be applied to all Indian Diplomatic Missions/Posts where Indian Community Welfare Fund has been setup.
2. In the Diplomatic and Consular Officers (Fees) Rules, 1949, for Schedule-1, clause 11 the following shall be amended as:-

Matter in respect of which an additional fee is leviable in	Scale of Fee (in US\$) [Rounded off in local currency to the next whole/round number]
11. (i) Visa and OCI cards	US \$3/- per document
(ii) Passport	US \$2/- per document
(iii) Attestation of employment document	US \$2/- per worker
(iv) Attestation of other documents and other Misc. Consular services (other than in death cases)	US \$2/- per worker

[No.T-234/2/2007]

UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV)

Note: Principal rules published vide Notification No. 420-con. dated 8th November, 1949 and subsequently amended by:-

- (i) Notification No. GSR 1977 dated 14-11-1967
- (ii) Notification No. GSR 817(E) dated 13-10-1976
- (iii) Notification No. GSR 326(E) dated 02-04-1979
- (iv) Notification No. GSR 862(E) dated 01-11-1985
- (v) Notification No. GSR 688(E) dated 15-10-1993
- (vi) Notification No. GSR 712(E) dated 18-11-1993
- (vii) Notification No. GSR 912(E) dated 20-12-2001
- (viii) Notification No. GSR 256(E) dated 28-03-2007
- (ix) Notification No. GSR 541(E) dated 09-08-2007
- (x) Notification No. GSR 752(E) dated 15-10-2009
- (xi) Notification No. GSR 398(E) dated 12-05-2010
- (xii) Notification No. GSR 254(E) dated 23-03-2011
- (xiii) Notification No. GSR 325(E) dated 18-04-2011